(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–   सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 149 / 2024   जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 349

1. गुगन पुत्र लिक्षमण जाति मेघवाल निवासी पिठोला, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)
...............वादी

– ब नाम –

1. रोहताश पुत्र स्व. डेडाराम उर्फ डालूराम, जाति मेघवाल निवासी पिठोला, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिंघाना, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राजस्थान)
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राजस्थान)

...............प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत– घोष्णामक खातेदारी

–:निर्णय:–   दिनांक:– 17/4/2025

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम पिठोला, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राजस्थान) स्थित भूमि खसरा 113 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 114 रकबा 0. 35 हैक्टर, खसरा नं. 115 रकबा 2.08 हैक्टर, खसरा नं. 116 रकबा 1.35 हैक्टर किता 4 रकबा 3.82 हैक्टर के खातेदार गुगनराम पुत्र लिक्ष्मण (वादी) एवं प्रतिवादी सं. 1 का पिता गणपत थे। जिन्होंने इस भूमि का नामान्तरकरण सं. 9 के द्वारा गांव गुजरवास में लगे राजस्व कैम्प के दौरान विभाजन करवा लिया जिस पर वादी के हिस्से में भूमि खसरा नं. 115/1 रकबा 1.89 हेक्टर आया एवं प्रतिवादी सं. 1 व उसके भाईयो के हिस्से में खसरा नं. 113, खसरा नं. 114 व 115/2 आये थे। बाद में सेग्रीगेशन के दौरान खसरा नं. 115/1 के खसरा नं. 115 दर्ज किया गया व खसरा नं. 115/2 के खसरा नं. 381/115 दर्ज किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व उसके भाईयों में विभाजन हुआ तो प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में खसरा नं. 381/115 व खसरा नं. 114 आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

2. यह कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व उसके भाईयो मे भूमि का विभाजन हुआ तो खसरा नं. 115 का खसरा नं. 114 के उत्तर मे सटकर 0.19 हैक्टर रकबा आया था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने जमाबन्दी तो विभाजन के खसरा नं. 115/1 व 115/2 की बना दी लेकिन नक्शा मे खसरा नं. 115/1 व 115/2 को तरमीम नही किया अर्थात नक्शा मे दोनों विभाजित नम्बरो को नही दर्शाया था।

3. यह कि हाल ही मे जब रोग्रीगेशन हुआ तो वादी की भूमि खसरा नं. 115 के दक्षिण मे राजस्व कर्मचारियों ने खसरा नं. 381/115 को तरमीम कर दिया जबकि प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा खसरा नं. 114 के उत्तर में सटकर खसरा नं. 115 मे 0.19 हैक्टर रकबा पर है जहाँ खसरा नं. 381/115 के रूप में तरमीम किया है वहाँ प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा नहीं है इसलिए वादी की भूमि खसरा नं. 115 में से खसरा नं. 114 के उत्तर में 0.19 हैक्टर रकबा के खसरा नं. 381/115 के रूप में तरमीम किया जाकर उसका प्रतिवादी सं. 1 के खातेदार घोषित कर नक्शा मे जहाँ खसरा नं. 381/115 दर्शाया गया है उसे खसरा नं. 115 वादी का होना घोषित किये जाने योग्य है।

4. यह कि वादी की भूमि खसरा नं. 115 के दक्षिणी भाग में खसरा नं. 381/115 तरमीम करने व उक्त भूमि खसरा नं. 114 के उत्तर में खसरा नं. 115 में स्थित होने एवं राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत रूप से इसे नक्शा में दर्ज कर देने से वादी को ऐसी अपूर्तिनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिये वादी के लिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वादवर्णित भूमि का नक्शा गलत बना देने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद है।

उपखण्ड अधिकारी
(बुहाना) जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

कि वाके ग्राम पिठोला स्थित भूमि खसरा नं. 381/115 रकबा 0.19 हैक्टर को खसरा नं. 114 के उत्तर में खसरा नं. 115 में बनाया जाकर उसका खातेदार प्रतिवादी सं. 1 को एवं खसरा नं. 381/115 वाले स्थान को खसरा नं. 115 होना घोषित किया जाकर उसका खातेदार वादी को घोषित किये जाने की कृपा करें अथवा जहाँ खसरा नं. 381/115 नक्शा में दर्शाया है उसे खसरा नं. 115 ही होना दर्ज कर खसरा नं. 114 के उत्तर में 0.19 रकबा खसरा नं. 115 में से खसरा नं. 381/115 के रूप में तरमीम कर पुनः नक्शा, नजरी नक्शा अनुसार बनाये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट की ओर से वकालतनामा/जवाब दिनांक 03.09.2024 को पेश कि[illegible]। शेष बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक[illegible] 17.04.2025 को लाई गई। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज पर कोई [illegible] नहीं किया गया। पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम पिठोला स्थित भूमि हाल ख0 न0 381 / 115, 114, 115, में वादी प्रतिवादी का नक्शा तरमीन कर पुनः नजरी नक्शा अनुसार बनाये जाने का आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2071–2074, जमाबन्दी सम्वत 2046–2050, जमाबन्दी सम्वत 2051–2054, जमाबन्दी सम्वत 2059–2062, जमाबन्दी सम्वत 2067–2070, मुताबिक राजीनामा अनुसार, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

<u>–::आदेश::–</u>

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पिठोला स्थित भूमि खसरा नम्बर 381 / 115 रकबा 0.19 हैक्टर को खसरा नम्बर 114 के उत्तर में खसरा नम्बर 115 में बनाया जाकर उसका खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को एवं खसरा नम्बर 381 / 115 वाले स्थान को खसरा नम्बर 115 होना घोषित किया जाकर उसका खातेदार वादी को घोषित किये जाकर अथवा जहाँ खसरा नं. 381 / 115 नक्शा में दर्शाया है उसे खसरा नम्बर 115 ही होना दर्ज कर खसरा नम्बर 114 के उत्तर में 0.19 रकबा खसरा नम्बर 115 में से खसरा नं. 381 / 115 के रूप में तरमीम कर पुनः नक्शा, नजरी नक्शा अनुसार बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 17/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.– 149/2024 जीसीएमएस नम्बर :– 2024/349

गुगन बनाम रोहताश आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अशोक यादव एड0 की उपस्थिति शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पिठोला स्थित भूमि खसरा नम्बर 381/115 रकबा 0.19 हैक्टर को खसरा नम्बर 114 के उत्तर में खसरा नम्बर 115 में बनाया जाकर उसका खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को एवं खसरा नम्बर 381/115 वाले स्थान को खसरा नम्बर 115 होना घोषित किया जाकर उसका खातेदार वादी को घोषित किये जाकर अथवा जहाँ खसरा नं. 381/115 नक्शा में दर्शाया है उसे खसरा नम्बर 115 ही होना दर्ज कर खसरा नम्बर 114 के उत्तर में 0.19 रकबा खसरा नम्बर 115 में से खसरा नं. 381/115 के रूप में तरमीम कर पुनः नक्शा, नजरी नक्शा अनुसार बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Dev
Date: 2025.05.19 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)